प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.05.2024

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से हुक्का बार चलाने वाले मैनेजर सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 हुक्का, 02 हुक्का की पाइप व 02 हुक्का की प्लेट बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 24.05.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मेवाड़ कालेज के सामने प्लाट नं0 257 सैक्टर 2 सी वसुन्धरा में बनी बिल्डिंग के प्रथम तल पर अवैध रुप से हुक्का बार संचालित है। तत्काल इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मैनेजर सहित 03 अभियुक्त 1. गौरव कुमार (मैनेजर) पुत्र अब्बल कुमार निवासी 804 खारा कुआं अर्थला शिव मंदिर के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष, 2.अंश तिवारी पुत्र बजरंग बली निवासी म0नं0 547 खारा कुआं अर्थला शिव मंदिर के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष, 3. विशाल पुत्र संजय निवासी म0न0 816 खारा कुआं अर्थला शिव मंदिर के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 हुक्का, 02 हुक्का की पाइप व 02 हुक्का की प्लेट बरामद हुए। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगणों उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया गया कि विशाल यादव हुक्का बार को चलाता है। जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1- गौरव कुमार (मैनेजर) पुत्र अब्बल कुमार निवासी 804 खारा कुआं अर्थला शिव मंदिर के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
2- अंश तिवारी पुत्र बजरंग बली निवासी म0नं0 547 खारा कुआं अर्थला शिव मंदिर के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
3- विशाल पुत्र संजय निवासी म0नं0 816 खारा कुआं अर्थला शिव मंदिर के पास अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- कब्जे से 02 हुक्का, 02 हुक्का की पाइप व 02 हुक्का की प्लेट बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 25,000/- रुपये का ईनामिया लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट की घटना से संबंधित 6200/- रुपये बरामद।

दिनांक 10.04.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी श्री मुन्ना पुत्र श्री हबीब अहमद निवासी बेहटा हाजीपुर मौलाना आजाद कॉलोनी ने एक तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर के गेट पर ही वादी से एक बैग जिसमें करीब 45 हजार रुपये थे, छीनकर ले गए। जिसके सम्बन्ध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। तत्पश्चात दिनांक 21.04.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा 02 लुटेरे अभियुक्तों 1-शकील पुत्र अनीश अहमद उम्र- करीब 30 वर्ष निवासी- मौलाना आजाद कॉलोनी, बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2-राशिद पुत्र पप्पू उम्र 18 वर्ष निवासी- गली नं0-5, इब्राहिम मस्जिद के पास डी ब्लॉक, दयालपुर दिल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनके कब्जे से लूट की घटना से संबंधित कुल 18,200 रुपये व दिल्ली से चोरी की एक मोटरसाइकिल नं0 DL5SAV8850 (स0मु0अ0सं0 010184/24 Police Station JAFRABAD, NORTH EAST MV THEFT) बरामद हुई थी तथा उक्त घटना में एक अभियुक्त टिल्लू उर्फ आजम उर्फ अकमल पुत्र अकबर अब्बास निवासी- शाखनी थाना जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर का नाम भी प्रकाश में आया था जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। उक्त अभियुक्त घटना के समय से ही फरार चल रहा था जिस पर 25,000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक 25-05-2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सर्विलांस की मदद से ईनामिया लुटेरा अभियुक्त टिल्लू उर्फ आजम उर्फ अकमल पुत्र अकबर अब्बास निवासी- शाखनी थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से लूटे हुए रूपयों में से 6200/- रुपये बरामद हुए, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

25,000/- रुपये का ईनामिया एक अभियुक्त कबीर पुत्र नबाव खाँ निवासी मुस्तफाबाद दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे पास से बरामद ये रुपये लूट के हैं। मैंने अपने 03 साथी कबीर पुत्र नबाव, शकील पुत्र अनीश व राशिद पुत्र पप्पू के साथ मिलकर रात में बेहटा हाजीपुर में एक व्यक्ति से उसके घर के बाहर गली में घुसते समय बैग छीना था। बैग छीनते समय राशिद बाइक चला रहा था, शकील मौहल्ले का ही रहने वाला होने के कारण निगरानी में खड़ा रहा था तथा बैग मैंने व कबीर ने छीना था। बैग में 45000/- रूपये थे। राशिद व शकील को हमने 11000-11000/- रुपये दिये थे। कबीर व मैंने में 11500/- 11500/- लिये थे। मैंने बाकी के रुपये खर्च कर लिये हैं। मेरे पास यही रुपये बचे थे जिन्हें आपने मुझसे बरामद कर लिया है। लूट करने के लिये मैंने व कबीर ने जाफराबाद दिल्ली से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। लूट करने के बाद वह मोटर साइकिल राशिद व शकील को दे दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

टिल्लू उर्फ आजम उर्फ अकमल पुत्र अकबर अब्बास निवासी- शाखनी थाना जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर, उम्र 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास का विवरण

थाना लोनी बॉर्डर पर लूट का 01 मुकदमा पंजीकृत है एवं दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

लूटे हुए रूपयों में से शेष बचे 6200/- रुपये बरामद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा हत्या/लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड मे तथा वांछित अभियुक्ता को मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त तमंचा व 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर व लूट/हत्या की घटना से सम्बन्धित 3400/- रुपये बरामद ।

दिनांक 18.05.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि अकबरपुर बहरामपुर मे रहने वाले श्यामदत्त को अभियुक्त गण सागर, शिवानी व अन्नु द्वारा चाकू से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था, जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो गयी इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत अभियुक्त गण को पकडने हेतु कई टीमो का गठन किया गया।

दिनांक 25.05.2024 को थाना क्रोसिंग रिपब्लिक टीम पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र मे अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत सघन संवेदशीन स्थानो पर चैकिंग की जा रही थी कि तिगरी गोल चक्कर के पास पर चैकिंग करायी जा रही थी। तिगरी गोल चक्कर के पास पर 01 स्कूटी सवार संदिग्ध व्यक्ति आता दिखायी दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उपरोक्त स्कूटी चालक पुलिस टीम को चुनौती देते हुए भाग गया, बदमाश का शक होने पर पुलिस द्वारा वायरलैस के माध्यम से इसकी सूचना थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक को दी गयी तथा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक द्वारा वायरलैस के माध्यम से कन्ट्रोल रुम व थाना क्षेत्र मे अन्य चैकिंग टीम को अवगत कराकर मौके पर पहुंचे हेतु बताया गया तथा उपरोक्त स्कूटी सावर को पुलिस द्वारा घेर लिया गया तो अपने आपके पुलिस से घिरा देखकर उपरोक्त स्कूटी सवार द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमे पुलिस बाल बाल बच गयी तथा जवाबी कार्यवाही व आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा किये गये फायर मे 01 गोली अभियुक्त उपरोक्त के पैर मे लग गयी तथा अभियुक्त गुरमीत सागर सिंह पुत्र तिलकराज निवासी कोर्ट मोड बजाज एजेन्सी के ऊपर ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा उम्र 24 वर्ष को एस्टिवा स्कूटी, पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से किये गये हमले प्रयुक्त 01 तमंचा .315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर , 01 खोखा कारतूस व थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पर पंजीकृत लूट / हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 3400 रुपये बरामद हुए। अभियुक्त को इलाज हेतु तत्काल अस्पताल मे भर्ती कराया गया। इसी क्रम मे उपरोक्त हत्या की घटना को अंजाम देने वाली अन्य अभियुक्ता शिवानी पत्नी गुरमीत सागर सिंह निवासी कोर्ट मोड बजाज एजेन्सी के ऊपर ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा उम्र 24 वर्ष मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 25.05.24 को तिगरी कट के पास से अन्य पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ पर अभियुक्त गुरमीत सागर सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/05/24 को मै और मेरी पत्नी शिवानी व मेरी बड़ी बहन अन्नु उपरोक्त स्कूटी पर बैठकर अकबरपुर बहरामपुर में श्यामदत्त पुत्र हरशरण दास के घर में लूट करने के इरादे से गये थे परन्तु श्यामदत्त द्वारा हमारा विरोध किया गया था जिसके कारण मैने व मेरी बहन अन्नु ने मिलकर श्यामदत्त के ऊपर चाकू के कई वार किये थे। चाकू को वहा ही फेककर हम तीनो इसी स्कूटी से वहा से भाग गये थे। इस लूट की योजना को हमने अन्नु के घर चक शाहबेरी में बैठकर बनायी थी अन्नु को इस बात की जानकारी थी की श्यामदत्त के पास काफी रुपया पैसा है, जिसे लूट कर हम लोग अमीर बन सकते है तथा बिना कुछ करे धरे हमे बहुत सारा पैसा मिल जायेगा।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

(1) गुरमीत सागर सिंह पुत्र तिलकराज निवासी कोर्ट मोड बजाज एजेन्सी के ऊपर ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा उम्र 24 वर्ष

(2) शिवानी पत्नी गुरमीत सागर सिंह निवासी कोर्ट मोड बजाज एजेन्सी के ऊपर ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण–

1. 01 अदद तमंचा 0.315 बोर (पुलिस मुठभेड से संबंधित)
2. 03 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर (पुलिस मुठभेड से संबंधित)
3. 01 खोखा कारतूस 0.315 बोर (पुलिस मुठभेड से संबंधित)
4. घटना मे प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी बिना नम्बर प्लेट
5. हत्या/लूट की घटना से सम्बन्धित 3400/- रुपये।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त गुरमीत सागर सिंह के विरुद्ध थाना फेस 03 नोएडा गौतमबुद्धनगर पर 01 लूट से सम्बन्धित, 01 चोरी व 01 अवैध अस्लाह के सम्बन्ध मे तथा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या/लूट से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है तथा व हत्या का प्रयास (पुलिस मुठभेड) से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गण के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सिलेण्डर से हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.05.2024 को वादी श्री सौदान सिंह पुत्र श्री देशराज निवासी म0नं0 427 गली नं0 03 कालोनी अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद ने तहरीर दी कि वादी के मकान में किराये पर रहने वाले शुभम की हत्या कर अभियुक्त प्रेम कुमार फरार हो गया है, इस सूचना पर थाना विजयनगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण -

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास एवं आस पास के सीसीटीवी फुटैज , मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल इटेलिजेन्स एवं लोकल इनपुट की सूचना के आधार पर आज दिनांक 25.05.2024 को अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी जगनाथपुर मोहनपुर थाना चौरी जिला

भदोही को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन गाजियाबाद के बाहर टैम्पो स्टैंड विजयनगर से कहीं भागने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं तथा शुभम एक ही गांव के रहने वाले है। हम दोनों काफी समय से अम्बेड़कर नगर में सौदान सिंह के मकान में किराये पर तीसरी मंजिल पर रहते थे तथा हम दोनों श्रीनाथ इस्पात फैक्ट्री में काम करते थे। दिनांक 21.05.2024 को हम दोनों ने दिन में शराब पी तथा शराब पीने के बाद मेरा शुभम से पैसे के लेने देने को लेकर झगड़ा हो गया था जिसमें मैने गुस्से में आकर पास में रखे सिलेण्डर को शुभम के सर में दो बार मारा था। जिससे उसका सिर फट गया था तथा वह मर गया था मैं डरकर कमरे का ताला बन्द करके वहां से भाग गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. प्रेम कुमार पुत्र नन्दलाल निवासी जगनाथपुर मोहनपुर थाना चौरी जिला भदोही उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी-

-01 मोबाईल वीवो रंग नीला मृतक से संबंधित
-घटना में प्रयुक्त एक सिलेण्डर पांच किलो लाल रंग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा महिला के साथ मारपीट करने वाले वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 24.05.2024 को थाना वेवसिटी पर वादिया प्रिया राणा पुत्री ओमप्रकाश नि0 फ्लैट नं0 201, बालाजी एन्क्लेव, शाहबेरी ग्रेटर नोएडा ने उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र कि वादिया के साथ दुर्व्यव्हार व मारपीट करने के सम्बन्ध में लाकर दी। जिसके आधार पर थाना वेवसिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर थाना स्तर से दो टीम गठित कर घटना का अनावरण करने हेतु रवाना किया गया। आज दिनांक 25.05.2024 को चेकिंग के दौरान व मैनुअल की सूचना पर 03 अभियुक्तगण 1. पुलकित उर्फ गोलू पुत्र कुशनवीर सिंह नि0 48 मानसरोवर पार्क लालकुँआ गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष 2. पप्पन उर्फ अच्छेलाल पुत्र जीतमल नि0 ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 3. हितेश चौधरी पुत्र देवेन्द्र चौधरी नि0 इबोनी ग्रीन्स सारे होम्स थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष को काली मन्दिर के पास आदित्य वर्ल्ड सिटी से गिरफ्तार किये गये तथा अभियुक्त पप्पन के कब्जे से मारपीट के दौरान छीना गया मोबाइल फोन बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ पर अभियुक्त 03 अभियुक्तगण 1. पुलकित उर्फ गोलू पुत्र कुशनवीर सिंह नि0 48 मानसरोवर पार्क लालकुँआ गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष 2. पप्पन उर्फ अच्छेलाल पुत्र जीतमल नि0 ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 3. हितेश चौधरी पुत्र देवेन्द्र चौधरी नि0 इबोनी ग्रीन्स सारे होम्स थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब हम प्रोपर्टी का काम करते है तथा कल यह लडकी अपने साथी कर्मीयों के साथ हमारे यहाँ खबर रिपोर्टिंग करने के लिये आयी थी और रिपोर्टिंग कर रही थी तो जब हमने कहा कि वीडियों क्यो बना रहे हो तो उसी समय इसी बात को लेकर बहस हो गयी और जब मना करने के बाद भी वह नही माने तो पप्पन ने उसका मोबाइल छीन लिया था और वही फेक दिया था और हमारी आपस मारपीट हुई थी ये लोग वहाँ से चले गये थे हमे पता चला कि ये लोग पुलिस के पास चले गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

- 1. पुलकित उर्फ गोलू पुत्र कुशनवीर सिंह नि0 48 मानसरोवर पार्क लालकुँआ गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष
- पप्पन उर्फ अच्छेलाल पुत्र जीतमल नि0 ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष
- हितेश चौधरी पुत्र देवेन्द्र चौधरी नि0 इबोनी ग्रीन्स सारे होम्स थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम